न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं :– 09/2022

हजारीराम पुत्र गोमाराम जाति मेघवाल निवासी अलाय तहसील नागौर जिला नागौर हाल ग्राम रावनेरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

..............प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत करने
अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकः–

1. श्री रामचन्द्रसिंह भाटी, अभिभाषक प्रार्थी।
2. पेरोकारराज राज्य की लियें।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13.01.2023

13.10.2022 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दाखिल हुआ।

2. प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एक कृषि भूमि खसरा नम्बर 74 तादादी 12.6500 हैक्टर वाके रोही ग्राम रावनेरी तहसील कोलायत में स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिस पर वह काबिज होकर काश्त करना बता रहा है। लेकिन उसे अपने खेत में पहुचने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा खसरा संख्या 71 जो आराजीराज है से आवागमन करता है। जिस पर रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया।
3. इस प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी राज्य को नोटिस जारी किया गया तथा इसकी रिपोर्ट तहसील से तलब की गयी। भू.अ.नि. गडियाला व हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 31.10.2022 के मुताबिक अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के अपने खेत खसरा नम्बर 72 में पहुचने हेतु उपलब्ध नही है। अतः खसरा नम्बर 71 जो ग्राम रावनेरी तहसील कोलायत में स्थित है तथा सिवायचक है। जिसमें अधिकतम 15 फुट रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रस्ताव के साथ सलंग्न पटवारी रिपोर्ट नक्शा अनुसार 40 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चोडा इस प्रकार कुल 200 वर्ग मीटर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी डी.एल.सी. रेट की दुगनी राशिके बराबर राशि जितनी जमीन रास्ते में प्रयुक्त होगी, तहसीलदार राजस्व कोलायत के नाम ड्राफट बनाकर इन्हे जमा करावें। तहसीलदार तदनुसार रास्ता स्वीकृत कर इसका इन्तकाल रास्ते के रूप में तसदीक कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें तथा कब्जा रास्ता प्रार्थी को दिया जावें। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का निपटारा किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

19-20/18-01-2023

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत